न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/04/2018	25–01–2018	11–04–2019

(B)

1–गुरूदयाल पुत्र भौरा जाति जाट निवासी ग्राम कांकरा बर्डोद, तहसील बहरोड़ जिला अलवर।
–अपीलान्ट

बनाम

1–भगतसिंह पुत्र दन्दड़ जाति जाट निवासी ग्राम कांकरा बर्डोद, तहसील बहरोड़ जिला अलवर।
–रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बहरोड़ का निर्णय दिनांक 15.09.2017 नामान्तकरण संख्या 4472 ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड़ जिला अलवर।

उपस्थितः–
01. श्री महेश कुमार गोठवाल –वकील अपीलान्ट
02. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता –वकील रेस्पोडेन्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड़ के आदेश दिनांक 15.09.2017 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 4472 ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड़, जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 21.12.2017 को रैस्पो0 आराजी मुतनाजा पर आया और कहा कि उक्त आराजी का इंतकाल मेरे नाम दर्ज व स्वीकार हो गया है। जिस पर मिन अपीलांट द्वारा उसी दिन नकल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिस पर नकल इंतकाल 28.12.2017 को प्राप्त हुई तथा बिना देरी के अपील पेश की गई। रैस्पो0 द्वारा उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के यहां उक्त आराजी संबंधित एक दावा पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 732 रकबा में से 3 बीघा 10 बिस्वा दिनांक 03.07.1968 को लाखा पुत्र बल्ला व दन्दड पुत्र मैदा जाति जाट निवासी ग्राम कांकरा बर्डोद को आवंटित हुआ। साबिक खसरा नम्बर 1248 में से 15 बिस्वा रकबा दिनांक 22.05.1971 को दन्दड पुत्र मैदा को आवंटित हुआ तथा साबिक खसरा नम्बर 1248 में से 3 बीघा रकबा दिनांक 01.10.1974 को दन्दड पुत्र मैदा व भौरा पुत्र हरलाल जाट निवासी कांकरा बर्डोद को आवंटित हुआ। साबिक खसरा नम्बर 1248 मिन व 732 मिन दोनों मिलाकर कुल रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1680/0.61, 1681/0.51, 1731/0.47, 1732/0.43, 1733/0.56, 1734/0.50, 1655/0.22, 1670/0.50 है0 वाके ग्राम बर्डोद तह0 बहरोड में स्थित है। साबिक खसरा नम्बर 1248 रकबा में से 15 बिस्वा जमीन दिनांक 22.05.1971 को दन्दड पुत्र मैदा को आवंटन हुआ तथा साबिक खसरा नम्बर 732 के रकबा मेंसे 3 बीघा 10 बिस्वा जमीन दन्दड पुत्र मैदा व लाखा पुत्र बल्ला को आवंटन हुआ। जिसमें लाखा पुत्र बल्ला लाऔलाद फौत हो गया। जिससे उक्त साबिक खसरा नम्बर दन्दड पुत्र मैदा जायज वारिस होने के नाते समस्त रकबा उनके पास आ गया तथा खसरा नम्बर 1248 रकबा में से 3 बीघा रकबा दिनांक 01.10.1974 को दन्दड पुत्र मैदा व भौरा पुत्र हरलाल को आवंटन हुआ था। लेकिन आवंटन के कुछ समय पश्चात् ही दोनों में बहामी बटवारा हो गया तथा आवंटन शुदा 3 बीघा जमीन दन्दड को दे दी गई तथा भौरा ने उक्त आराजी की ऐवज मे अन्य आराजी ले ली। जिससे उपरोक्त आवंटनशुदा कुल आराजी 7 बीघा 5 बिस्वा जमीन पर दन्दड पुत्र मैदा काबिज रहकर काश्त करता आ रहा था। उक्त आराजी का बटवारा करीब 40 साल पूर्व बुजुर्गान के समय ही कर लिया था। जिससे रैस्पो0 के हिस्से में आराजी हाल खसरा नम्बर 1731 रकबा

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

0.40 है0, 1733/0.56, 1680/0.61 वाके ग्राम बर्डोद आये। मिन अपीलांट के बुजुर्गान व रैस्पो0 को आराजी मुतनाजा आवंटित की गई थी। आवंटन के बाद पक्षकारान के बुजुर्गान उक्त आराजी पर काबिज दाखिल हुए। हाल खसरा नम्बर 1732/0.43 व 1734/0.50 ऐयर मिन अपीलांट के बुजुर्ग भौरा के हिस्से में आये। भौरा के साथ मिन अपीलांट आराजी पर काबिज दाखिल हुए। खसरा नम्बर 1732/0.43, 1734/0.50 अपीलांट के हिस्से में आये। मिन अपीलांट के पिता भौरा का स्वर्गवास हो चुका है। जिससे उक्त आराजी मुतनाजा मिन अपीलांट के हिस्से व बटवारे में आयी है। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ द्वारा मिन अपीलांट की इकतरफा कर दी गई। जबकि आदेशिका अवलोकन से रोशन होगा कि मिन अपीलांट की इकतरफा नही हो रही हैं। अपीलांट की इकतरफा गलत दर्ज की गई है। उपखण्ड अधिकारी बहरोड ने आदेश में यह अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 5 ने जवाब दावा पेश किया है लेकिन पैरवी के लिए उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाने के बाद दिनांक 30.11.2016 को राजीनामा पेश किया गया। लेकिन दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं होकर राजीनामा तस्दीक नहीं करवाया गया, इसलिए प्रतिवादी संख्या 5 (मिन) द्वारा पेश राजीनामा साक्ष्य में नहीं पढा जा सकता। राजीनामा में भी स्पष्ट अंकित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 1731, 1733, 1680 में रैस्पो0 को खातेदारी दी जावें व खसरा नम्बर 1732, 1734 में मिन अपीलांट को खातेदारी दी जावें। जिस राजीनामा पर पक्षकारान् के हस्ताक्षर हो रहे है। रैस्पो0 ने अपने दावें में आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 1731, 1733, 1680 बाबत खातेदारी घोषित करने की इस्तदूवा की है। जबकि उपखण्ड अधिकारी बहरोड ने आराजी खसरा नम्बर 1731, 1732, 1733, 1734 के बाबत रैस्पो0 को खातेदार घोषित किया है। रैस्पो0 का आराजी खसरा नम्बर 1732, 1734 से ना कभी कोई तालूक था ना कोई कब्जा था, बल्कि आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 1732 व 1734 मिन अपीलांट के बुजुर्गान भौरा व मिन अपीलांट का कब्जा था। भौरा का स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी मुतनाजा पर मिन अपीलांट का कब्जा है। उपखण्ड अधिकारी की आज्ञा व डिक्री दिनांक 06.03.2017 के खिलाफ भू–प्रबंध अधिकारी व पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां अपील दायर कर रखी है, जो विचाराधीन है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.09.2017 खारिज फरमाया जावे व उक्त इंतकाल में आराजी खसरा नम्बर 1732 व 1734 पर, जो रैस्पो0 के नाम इन्द्राज किया गया है। उसके बजाय मिन अपीलांट के नाम का इन्द्राज किया जावें।

विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त अनुवानी अपील गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई है। उपखण्ड अधिकारी बहरोड द्वारा दिनांक 06.03.2017 को रैस्पो0 भगतसिंह का दावा डिक्री फरमाया गया था। जिसकी इजराय रैस्पो0 भगतसिंह द्वारा करवायी गयी थी। जिस निर्णय व डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार बहरोड द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4472 रैस्पो0 के हक में दर्ज कर स्वीकार किया गया। अपीलांट को वक्त निर्णय से ही उक्त नामान्तरकरण संख्या 4472 की बखूबी जानकारी थी। अपीलांट द्वारा भू–प्रबंध अधिकारी व पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी बहरोड के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.03.2017 की अपील दिनांक 12.10.2017 को प्रस्तुत की गई। जिससे बखूबी साबित होता है कि अपीलांट को नामान्तरकरण संख्या 4472 जो दिनांक 15.09.2017 को दर्ज व स्वीकार हो गया उसकी जानकारी दिनांक 15.09.2017 से ही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें। रैस्पो0 ने अपने जवाब के समर्थन में आर.आर.टी 2015 I पेज 232, आर.आर.टी 2009 I पेज 488, सीजे सिविल 2016 II पेज 1150, आर.आर.टी 2010 II पेज 801, आर.एल.आर 1996 I पेज 714, आर.आर.टी 2015 I पेज 168, आर.आर.डी 2008 पेज 755 पेश किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया, जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट है कि तहसीलदार बहरोड़ द्वारा उपखण्ड अधिकारी बहरोड के निर्णय व डिक्री की पालना की गई है, प्रभावित पक्षकार को अनुतोष विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया के अन्तर्गत अपील किये जाने के नियमों में प्रावधान है। न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी बहरोड के निर्णय के विरूद्ध अपील विचाराधीन होकर लम्बित है, जिसके विवाद्यक तथ्य तथा पक्षकार समान है। ऐसी स्थिति में न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर में विचाराधीन अपील का अंतिम निर्णय होने तक इस न्यायालय द्वारा किसी –

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

प्रकार का हस्तक्षेप करना विधिनुमत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरोड़ का निर्णय दिनांक 15.09.2017 यथावत व न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के अंतिम निर्णय के अधीन रखा जाता है। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11–04–2019 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.) ALWAR (RAJ.)

14/04/19

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)